

फर्द अहकाम

राधेश्याम बनाम राज0 सरकार व अन्य
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर)

केस संख्या 17/2025 प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

क. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	वि.
	10/10/25	<p>पत्रावली पैरा 20 की पहिले वाली उपरोक्त लखसीलदार शाहपुरा से रिपोर्ट प्राप्त है। लखसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट का तथा पत्रावली का डवलोकन किया गया। लखसीलदार शाहपुरा की रिपोर्ट के अनुसार राधेश्याम पुत्र भागीरथ फल जाति जाह निकासी रकॉर्ड आश्रयनी के नाम से आधार कार्ड, पहचान पत्र, व राशन अर्डी संलग्न की गई है जसके बन्दीबस्त 2042 के अनुसार शुभ रिकॉर्ड आश्रयनी के खाता सं. 512 व 242 में पप्पू पुत्र भागीरथ जाति जाह दर्ज रिकॉर्ड है। लखसीलदार शाहपुरा के खाता संख्या 504 के पप्पू पुत्र भागीरथ जाति जाह तथा नामान्तरण सं. 44 के द्वारा मिरासत से दर्ज होना पाया गया जो एकाकीन लखसीलदार शाहपुरा द्वारा दिनांक 1-5-1987 को स्वीकृत किया गया था। उक्त कृषि डवलोकन धारा 136 LRAए के तहत किया जाना उचित नहीं है। लखसीलदार शाहपुरा की रिपोर्ट के अनुसार पहिले वाली का जाण 136 LRAए रवाना किया जाता है पत्रावली के मूल अनुसार ठीकर राखिल अफतव है।</p>	

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जयपुर (राज.)